

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2424] No. 2424] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

#### दिल्ली विकास प्राधिकरण

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

परिसरों के मिश्रित उपयोग / व्यावसायिक उपयोग तथा बाद में स्थानीय बाजारों के रूप में निर्दिष्ट दुकान एवं आवास प्लॉटों / परिसरों के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों का निर्धारण।

का.आ. 3173(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा अधिसूचना एस.ओ. 1015(ई) दिनांक 22 जून,2007 और एस.ओ. सं. 4117(ई) दिनांक 29 दिसंबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

(क).		अधिसूचना एस.ओ. 1015(ई) दिनांक 22 जून, 2007	में संशोधन
क्र. सं.	पैरा सं.	विद्यमान प्रावधान	परिवर्तन / संशोधन
1.	5	वर्षिक मिश्रित उपयोग प्रभार	
	5.1	मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आने वाले परिसर उस अवधि तक के लिए वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभार की वसूली (लेवी) की शर्त के अधीन होंगे जिस अवधि तक मिश्रित उपयोग के अंतर्गत परिसर बना हुआ हो बने रहने की संभावना हो। वित्त वर्ष 2006–07 के लिए कॉलोनियों की विभिन्न श्रेणियों के वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभार निम्न प्रकार होंगे :-	स्वामी / आबंटिती / निवासी / उपयोगकर्ता मिश्रित उपयोग / व्यावसायिक स्ट्रीट पर वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभारों के स्थान पर एक कालिक उपयोग

3681 GI/2018 (1)

	(क) दिर्ल्ल	नगर निगम	क्षेत्रों के लिं	₹ :-		5.1.2 ऐसे स्वामी/आबंटिती/निवासी/उपयोगकर्ता			
		नीटर निर्मित क्षे			जिन्होंने अधिसूचना एस.ओ. 1015(ई) दिनांक 22				
	क्र.सं.	मिश्रित उपयोग का प्रकार	कॉलोनियों की ए और बी श्रेणी	कॉलोनियों की सी और डी श्रेणी	कॉलोनियों की ई, एफ, जी एवं एच श्रेणी	जून, 2007 के पैरा 5.4 के अनुसार ''एक कालिक भुगतान'' कर दिया हो अथवा जहां किश्तों में पहले से भुगतान की गई राशि ''एक कालिक भुगतान'' की 1.25 गुणा अथवा अधिक हो, को कोई अन्य अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।			
	1.	खुदरा दुकान	767	511	192	अधिक भुगतान, यदि कोई किया गया है, तो उसे इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की शर्त			
	2.	अन्य कार्यकलाप	383	256	96	पर वापिस कर दिया जाएगा।			
	3.	व्यावसायिक कार्यकलाप	192	128	48	5.1.3 जहां अधिसूचना की तिथि को पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, वहां ऐसी अधिसूचना की			
	-	देल्ली नगर पा मीटर निर्मित ध			लेए	तिथि से 90 दिनों के अंदर शेष राशि का भुगतान कर दिया जाए। इसके बाद किसी भी अतिरिक्त			
	क्र. सं.	मिश्रित उपर खुदरा दुका	गोग का प्रकार	श्रेणी ए से 1534	रे एच	विलंब पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज लिया जाएगा।			
	2.	अन्य कार्यक		766					
	3.	व्यावसायिक	कार्यकलाप	384					
5.2	प्राधिकरण उसके भाग में प्रत्येक 2006–07 चौथाई (1 पहले किय को अथवा वर्षों के ल	मिश्रित ले बंटिती / निवार को संबंध में वर्ष की 30 के लिए वार्गि / 4वां) का भु । जाएगा और उससे पहले उससे पहले	ती / उपयोगव रूप से पूर्व जून से पा र्जून से पा वेंक मिश्रित गतान 30.06 शेष 3 / 4 किया जाप रों का भुगता	वर्ती आकलः रे समानुपात हले किया उपयोग प्र 3.2007 को का भुगतान रुगा। उत्तरव	ा स्थानीय न वर्ष अथवा में, के संबंध जाएगा। वर्ष भार के एक अथवा उससे 30.09.2007 ार्ती आकलन	लागू नहीं, इसलिए हटा दिया गया है।			
5.3	केन्द्र सरव	: के वर्षों के र गर के अनुमो प्रसूचित नहीं व	दन से इन्हें	विशेष रूप	हेगीं जब कि से संशोधित	पैरा 5.4 के अनुसार प्रभार अधिसूचना की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और इसके बाद इन्हें संशोधित किया जाएगा।			
5.4	परिसरों के पास मिश्रि	स्वामी / आ त उपयोग प्र प होगा, जो	बंटिती / नि भारों का ए	ावासी / उप ककालिक भु	गुतान करने	मिश्रित उपयोग के अंतर्गत परिसरों के स्वामी / आबंटिती / निवासी / उपयोगकर्ता मिश्रित उपयोग / व्यावसायिक स्ट्रीट पर वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभारों के स्थान पर एक कालिक उपयोग परिवर्तन प्रभार का भुगतान करने हेत बाध्य होंगे। कॉलोनियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए एक कालिक उपयोग परिवर्तन प्रभार निम्न प्रकार से होंगे :—			
	(क) दिर्ल्ल	ो नगर निगम	क्षेत्रों के लि	र :-	(क) दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों के लिए :				
	प्रति वर्ग म	गीटर निर्मित क्षे	ात्रों की दर	रुपए में	(प्रति वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की दर रुपए में)				
	11 . 1	श्रित उपयोग । प्रकार	कॉलोनियों की ए और बी श्रेणी	कॉलोनी सी और डी श्रेणी	कॉलोनी की ई.एफ. जी. और एच श्रेणी	क्र. मिश्रित कॉलोनियों की श्रेणी सं. उपयोग का ए और सी ई, एफ, जी प्रकार बी और और एच			
	1. खु	दरा दुकान	6136	4088	1536	1.     खुदरा दुकानें     6136     4088     1536       2.     अन्य     3064     2048     768			
		न्य कार्यकलाप	3064	2048	768	कार्यकलाप			
		ावसायिक ार्यकलाप	1536	1024	384	3. व्यावसायिक 1536 1024 384 कार्यकलाप			

		(ख) नई	दिल्ली नगर पालिका परिषद	क्षेत्रों के लिए	(ख) नई	दिल्ली नगर पालिका प	रिषद क्षेत्रों के लिए		
				,	` '	र् मीटर निर्मित क्षेत्र के वि			
		(प्रति वग	र्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिए व	दर रूपए में)	`		,		
		क्र.सं.	मिश्रित उपयोग का प्रकार	श्रेणी ए से एच	क्र.सं.	मिश्रित उपयोग का प्रकार	कॉलोनियों की श्रेणी ए		
		1.	खुदरा दुकानें	12272			से एच		
		2.	अन्य कार्यकलाप	6128	1.	खुदरा दुकानें	12272		
		3.	व्यावसायिक कार्यकलाप	3072	2.	अन्य कार्यकलाप	6128		
		L 9.		0072	3.	व्यावसायिक कार्यकलाप	3072		
	5.5	का भुगव है, जिस	66—07 के लिए एक कालिक तान चार समान तिमाही किश् ाकी पहली किश्त का भुगतान क्या जाएगा ।	स्वामियों / आबंटितियों / निवासियों / उपयोगकर्ता					
	5.6	मिश्रित	म.सी. क्षेत्रों के गांवों और पुनव उपयोग प्रभार दि.न.नि. क के प्रभारों के बराबर होंगे।		दिल्ली के गांवों और एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों की पुनर्वास कालोनियों के लिए मिश्रित उपयोग प्रभार दि.न.नि. कालोनियों की विभिन्न श्रेणियों के प्रभारों के बराबर होंगे।				
	5.7	'नया उप	प पैरा जोडा गया'		यदि 100 वर्ग मी. से 250 वर्ग मी. तक के आकार के प्लॉट पर वर्तमान बिल्डिंग में कुल एफ.ए.आर. अनुमत एफ.ए.आर. से बढ़ जाता है, ऐसा बढ़ा हुआ एफ.ए.आर (350 वर्ग मीटर तक अधिकतम एफ.ए. आर. तक) अनुमत होगा, जो कि लागू प्रभार के 1.5 गुना राशि के पेनल्टी प्रभार के भुगतान की शर्त पर अनुमत होगा।				
2		7. पावि	र्நंग के विकास के लिए एक	कालिक प्रभार					
	7.1	स्वामी / विकास 50 वर्ग ऐसी दर (क) दि: कॉलोनि	आबंटिती / निवासी / उपयोग के लिए एक कालिक प्रभार मीटर प्लॉट क्षेत्रफल के लिए 2006—2007 वर्ष हेतु इस प्रव न.नि. क्षेत्र के लिए :	्मि उपयोग के अंतर्गत प्लॉट/आवासीय इकाई के 'शब्द प्लॉट क्षेत्रफल के प्रति आबंटिती/निवासी/उपयोगकर्ताओं को पार्किंग के एक ई सी एस' को 'आव अन्यत्र प्रयोग हेतु निर्मित क्षेत्र अन्यत्र प्रयोग हेतु निर्मित क्षेत्र के लिए एक ई सी एस' पढ़ा 2006—2007 वर्ष हेतु इस प्रकार होगी :					
		कॉलोनि (ख) नई प्लॉट १	यों की ई एफ एंजी श्रेणिय दिल्ली नगर पालिका परिषद् क्षेत्रफल के एक ई सी o/-रु.	ां 66,500 ∕ —रु. क्षेत्र के लिए :					
	7.2	एक तिह	के विकास के लिए कुल एव हाई 30.06.2007 से पूर्व भुगतान ाग को 31.03.2008 तक देना	न करना होगा और शेष	तो एकः भूस्वामी, होगा अधिसूच उसके ब की अर्वा प्रभार के	के विकास के लिए एक मुश्त अथवा बराबर चार / आबंटिती / निवासी / उप । ऐसी पहली किश्त ना के 30 दिन के अं गाद की प्रत्येक किश्त व धे के अन्दर देना होगा ा विलम्ब होने पर, प्रत्येक याज वसूला जाएगा ।	तिमाही किश्तों में मयोगकर्ता द्वारा देना इन नियमों की दर देय होगी और ो प्रत्येक तीन माह । भुगतान में किसी		

3.	9	पेनल्टी					
	9.1	संगत वित्तीय वर्ष में पार्किंग के लिए विकास प्रभारों अथव मिश्रित उपयोग प्रभारों के भुगतान में विलंब होने पर प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धित ब्याज का भुगतान करन	ř	ाया गया ।			
	9.2	होगा ।  बिना घोषणा अथवा पंजीकरण के मिश्रित उपयोग के अंतर्गत यिद कोई सम्पत्ति पाई गई अथवा दिल्ली मुख्य योजना—2021 के संगत प्रावधानों एवं इन विनियमों के उल्लंघन पर, सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और साथ ही मिश्रित उपयोग के लिए वार्षिक परिवर्तन प्रभार की 10 गुना राशि दंड (पेनल्टी) के रूप में ली जाएगी ।	। अंत मुख वि । वि । नि ) का	ना घोषणा अथवा पं गर्गत यदि कोई स व्य योजना—2021 नेयमों के उल्लंघ कायों द्वारा प्रासंगिव र्रवाई की जाएगी लिए एक कालिक	म्पत्ति पा के संगव प्रन पर, ह कानूनो और साध	ाई गई अ त प्रावधान सम्बन्धिः ं के अंतर्ग य ही मिशि	थवा दिल्ली नों एवं इन त स्थानीय त दंडात्मक अंत उपयोग
				शे दंड (पेनल्टी) के			
(ख)		अधिसूचना एस.ओ. 4117 (ई) दिनांक 29 दिसम्बर, :	2017	में संशोधन			
		विद्यमान प्रावधान		परिवत	नि / संशो	धन	
ऊपरी	तलों प	र, खान मार्किट और ग्रीन पार्क एक्सटेंशन आदि मार्किट के र उपयोग परिवर्तन प्रभार 22274 / – रु. प्रति वर्ग मी. निर्मित इर से निर्धारित किया गया था ।	(दर क्र. सं.	दुकान एवं आवास में स्थानीय बाजारों के लिए एक का निम्नानुसार होंगे: रु. में प्रति वर्ग मी. मिश्रित भूमि उपयोग का प्रकार  दुकान एवं आवास प्लॉट / परिसर / दुकान प्लॉट जिनको बाद में स्थानीय बाजार के रूप में नामित किया गया।  यदि विद्यमान भवन् मी. से अधिक और के प्लॉटों पर अन् जाता है, तो ऐसे	ं के रूप लिक उप निर्मित क्षे ए एवं बी 22274 द में कुल् र 250 व	में नामित नयोग परि नेत्रफल) ॉलोनी की श्रे सी एवं डी 14839 1 एफ.ए.आ र्ग मी. तक ए.आर से	किया गया, वर्तन प्रभार चेणी ई.एफ. जी. एवं एच 5576
				350 एफ.ए.आर. त् गुणा जुर्माना प्रभा पर अनुमति दी ज उपयोग परिवर्तन आबंटितियों / निवा एकमुश्त रूप में 3 किया जाएगा। ऐ इन नियमों की आ किया जाएगा औ भुगतान उसके ब अंदर किया जाएग मामले में 8 प्रतिश् देना होगा। ये दरें अधिसूचना अवधि के लिए इनकी समीक्षा की	तक) को रों के भु एगी। प्रभारों क सियों/उ स्थवा सग् सी पहर्ल धिसूचना र बाद दीन ा। भुगता रात वार्षि लागू रहें	लागू प्रभ गतान कर ग भुगतान पयोगकर्ताः गे किश्त के 30 दि की प्रत्येक माह की न करने में क की द	ारों के 1.5 रने की शर्त स्वामियों / ओं द्वारा हो किश्तों में का भुगतान न के अन्दर किश्त का अवधि के हे पिलम्ब के र से ब्याज

[फा. सं. एफ2(14)2017—18 / ए ओ(पी) / डीडीए]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

#### **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2018

## Fixation of use conversion charges for Mixed Use/Commercial Use of Premises and Shop-cum-residence plots/Complexes later designated as LSCs.

**S.O. 3173(E).**—In exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government hereby makes the following modifications to notifications S.O.1015 (E) dated  $22^{nd}$  June, 2007 and S.O. No. 4117 (E) dated  $29^{th}$  Dec., 2017.

(A	.)				Mod	ification	s to Notifi	ication S.O.1015 (E) dated 22 <sup>nd</sup> June, 2007	
Sl. No.	Para No.			Exist	ting Prov	visions		Amendments/Modifications	
1	5	AN	NU	AL MIXI	ED USE	CHAR	GES		
	5.1	The premises under mixed use shall be subject to levy of Annual Mixed Use charges for the period upto which the premises remain/likely to remain under mixed use. The annual Mixed Use Charges for the Financial year 2006-07 for different categories of colonies shall be as under: -  (a) For MCD areas:  (Rates in ₹ per Sq.mtr built up area)						5.1.1 The Owners/allottees/residents/users of the premi under mixed use shall be liable to pay one-time to conversion charges on mixed use/commercial streets instead of Annual mixed use charges.  5.1.2, Owners/allottees/residents/users who have ma "Onetime payment" as per Para 5.4 of the Notificat S.O.1015(E) dated 22 <sup>nd</sup> June,2007 or where the amo already paid in installments is 1.25 times of the "onetical content of the street of	
		S. No.		pe of xed use	A & B Category of colony	C & D Category of colony	E, F,G & H Category of colony	payment" or more will not be required to pay any further amount. Excess payment, if any would be refunded subject to production of documentary evidence to this effect.	
		1		tail ops	767	511	192	5.1.3 In cases, where full amount has not been paid as on the date of notification, the balance may be paid within 90 days	
		2	Ac	her tivities	383	256	96	of such notification. Any further delay thereafter will attract simple interest @ 10% p. a.	
		3	Ac	ofessional tivities	192	128	48		
				) For NI ates in ₹			ip area)		
		S. 1	S. No. Type of mixed use				ategory A to H		
		_1		Retail Sho			1534		
		2		Other Act			766		
	5.2	3			nal Activit		384	N. c. and P. alda and I. d. I	
	5.2	The payment of annual mixed use charges shall be made by the owner/allottee/resident/ user of the premises to the local authority voluntarily before 30 <sup>th</sup> June of every year in respect of the previous assessment year or part thereof, in proportions to that part. For the 2006-07, 1/4 <sup>th</sup> of the annual mixed use charges shall be paid on or before 30-06-2007 and the balance 3/4 <sup>th</sup> shall be paid on or before 30-09-2007. For the subsequent assessment years, the entire charges are to be paid on or before 30 <sup>th</sup> June of that year.							
	5.3	of s revi	ubse sed	equent ye	ears also ied with	unless s	in respect pecifically oval of the	The charges as per para 5.4 shall remain in force for a period of six months from the date of notification and thereafter these will be reviewed.	

5.4	The owner/allottee/resident/user of the
	premises shall have option to make onetime
	payment of mixed use charges, which shall
	be as follows for the year 2006-07:-

#### (a) For MCD areas:

(Rates in ₹ per Sq.mtr built up area)

(runes in v per squiin sum up ureu)							
S. No.	Type of mixed use	Category	Category	E, F ,G & H Categor of colony			
1	Retail Shops	6136	4088	1536			
2	Other Activities	3064	2048	768			
3	Professional Activities	1536	1024	384			

# (b) For NDMC areas(Rates in ₹ per Sq.mtr built up area)

S. No.	Type of mixed use	Category A to H
1	Retail Shops	12272
2	Other Activities	6128
3	Professional Activities	3072

5.5 The payment of one time mixed use charges for the year 2006-07 may be made in four equal quarterly installments, the first installment of which shall be paid on or before 30-06-2006

The mixed use charges for villages and rehabilitation colonies in NDMC areas shall be equal to the charges for the various categories of MCD colonies.

5.7 'Inserted new sub para'

The Owners/allottees/residents/users of the premises under mixed use shall be liable to pay one-time Use conversion charges on mixed use/commercial streets instead of Annual mixed use charges. One-time Use Conversion Charges for different categories of colonies shall be as under:

# (a) For MCD areas:(Rates in ₹ per Sq.mtr built up area)

S. No.	Type of mixed	Category of colonies				
	use	A & B	C & D	E, F ,G & H		
1	Retail Shops	6136	4088	1536		
2	Other Activities	3064	2048	768		
3	Professional Activities	1536	1024	384		

## (b) For New Delhi Municipal Council areas(Rates in ₹ per Sq.mtr built up area)

S. No.	Type of mixed use	Category of colonies
		A to H
1	Retail Shops	12272
2	Other Activities	6128
3	Professional Activities	3072

The onetime Use Conversion charges, shall be paid by the owners/allottees/residents/users either in lump sum or in four equal quarterly installments. First such installment shall be paid within 30 days of the notification of these rules and each subsequent installment has to be paid within a period of three months thereafter. In case of any delay in making the payment, it will attract interest @8% per annum.

The mixed use charges for villages in Delhi and rehabilitation colonies in New Delhi Municipal Council areas shall be equal to the charges for the various categories of MCD colonies.

In case total FAR in the existing building is exceeding the permissible FAR on the plots of size above 100 sqm & upto 250 Sqm, such excess FAR (upto max. 350 FAR) shall be permitted subject to payment of penalty charges amounting to 1.5 times the applicable charges.

#### 2 7 ONE TIME CHARGES FOR DEVELOPMENT OF PARKING

7.1 The owner/allottees/resident/user of the plot/dwelling unit under the mixed land use shall also be liable to pay one time charges for development of parking and such rate for one ECS per 50 Sqm. of plot area shall be as under for the year 2006-07.

(a) For MCD areas: 
 A & B Category of colonies ₹ 2,10,500
 C & D category of colonies ₹ 1,49,750
 E,F&D Category of colonies ₹ 66,500

(b) For NDMC areas:-₹ 2,10,500 for one ECS Sqm of plot area.

Words 'one ECS per 50 Sqm. of plot area' may be read as 'one ECS\_per 50 Sqm. of built up area for the area under use other than residential'

	7.2	Out of the Total one time charges for development of parking 1/3 <sup>rd</sup> shall be paid on or before 30-06-2007 and the remaining 2/3 <sup>rd</sup> by 31-03.2008	The onetime charges for development of parking shall be paid by the owners/allottees/residents/users either in lump sum or in four equal quarterly installments. First such installment shall be paid within 30 days of the notification of these rules and each subsequent installment has to be paid within a period of three months thereafter. In case of any delay in making the payment, it will attract interest @8% per annum.					
3	9	Penalty						
	9.1	Delay in payment of development charges for parking or mixed use charges of the relevant financial year shall be compoundable on payment of interest at 8% p.a.						
	9.2	The property found under mixed use without declaration or registration or in violation of the relevant provisions of the Master Plan for Delhi 2021 and these regulations, shall be liable for penal action under the relevant Act by the local body concerned and also a penalty amounting to 10 times the annual conversion charges for mixed use shall be imposed.	registration or in violation of the relevant provisions of the Master Plan of Delhi 2021 or these regulations, shall be liable for penal action under the relevant Act by the local body concerned and also a penalty amounting to 1.5 times the one-time conversion charges for mixed use shall be imposed.					
(B)		Modifications to Notifica	tion S.	O.4117 (E) dated 29	Oth Dec., 20	17		
		Existing Provisions	Amendments/Modifications					
Sarc Exte	ojini 1	rsion charges on upper floors of Market like Nagar, Khan Market and Green Park etc. was fixed @ ₹ 22274/- per Sqm. a	<ol> <li>One time use conversion charges for shop-cum-residence plots/complexes later designated as LSCs shall be as under</li> <li>(Rates in ₹ per Sqm built up area)</li> </ol>					
			S. No.	- 1	Category of colony			
					A & B	C & D	, F ,G & H	
			1	Shop-cum -residence plots/complexes/ shop plots later designated as LSCs	22274	14839	5576	
			2. In case total FAR in the existing building is exceeding the permissible FAR on the plots of size above 100 sqm & upto 250 Sqm, such excess FAR (upto max. 350 FAR) shall be permitted subject to payment of penalty charges amounting to 1.5 times the applicable charges.					
			3. The Use Conversion charges, shall be paid by the owners/allottees/residents/user either in lump sum or in four equal quarterly installments. First such installment shall be paid within 30 days of the notification of these rules and each subsequent installment has to be paid within a period of three months thereafter. In case of any delay in making the payment, it will attract interest @8% per annum.					
			4. These rates will remain in force for a period of six months from the date of notification and thereafter these will be reviewed.					

[F. No. F2(14)2017-18/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.